कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी मीरजापुर।

पत्रांक:ST/CFO/MZR/ (ग्रुप हाउसिंग भवन)15,(1) दिनांक:मई 20,2015

सेवा में,

सचिव,
मीरजापुर विन्ध्याचल विशेष क्षेत्र,
विकास प्राधिकरण,मीरजापुर।

विषयः श्री कुन्ज बिहारी लाल रियल्टी प्रा0लि0 बजरिये डायरेक्टर विश्वनाथ प्रसाद अग्रवाल,बरौधा अन्दर मीरजापुर द्वारा ग्रुप हाउसिंग निर्माण के मानचित्र स्वीकृत के सम्बन्ध में।

संदर्भ: आपका पत्रांक:35/मी0.वि0.वि0.क्षे0.वि0.प्रा0.–मा0सं0–10/15–16 दिनांक:23–04–2015.

कृपया उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अपने संदर्भित पत्र का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें,जो श्री कुन्ज बिहारी लाल रियल्टी प्रा0 लि0 बजरिये डायरेक्टर विश्वनाथ प्रसाद अग्रवाल,बरौधा अन्दर मीरजापुर द्वारा आराजी नं0129, 132,135,472,तापा–84,परगना–कांतित ग्राम–मरूहना में ग्रुप हाउसिंग निर्माण हेतु मानचित्र के आधार पर निरीक्षण कर परीक्षण किया गया तो निम्न तथ्य पाये गये:–

1– प्रस्तावित भवन स्टेशन–कचहरी रोड मुख्य मार्ग पर बनाये जाने का प्रस्ताव है जिसकी चौड़ाई 18मीटर है। पहुँच मार्ग मानक के अनुरूप है।

2– प्रस्तावित भवन का कुल प्लाट एरिया–2512.75 वर्गमीटर है।

3– प्रस्तावित भवन में लोवर/अपर बेसमेन्ट,ग्राउण्ड,प्रथम,द्वितीय,तृतीय, चतुर्थ,पंचम,छठा तल तक बनाये जाने का प्रस्ताव है।जिसमें प्रत्येक बेसमेन्ट का कवर्ड एरिया–1148.48 वर्गमीटर तथा प्रत्येक तल का कवर्ड एरिया–995.89वर्गमीटर प्रस्तावित है।

4– प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग में 50परिवार (50यूनिट)के निवास हेतु बनाये जाने का प्रस्ताव है।

5– प्रस्तावित भवन की ऊँचाई 20.94मीटर है।

6– ए–प्रस्तावित भवन का सामने का सेटबैक–7.05मीटर है।
बी–प्रस्तावित भवन का पीछे का सेटबैक–7.02मीटर है।
सी–प्रस्तावित भवन का 1साइड का सेटबैक–7.25मीटर है।
डी–प्रस्तावित भवन का 2साइड का सेटबैक–7.00मीटर है।

7– प्रस्तावित भवन का सेटबैक मानक के अनुसार है।

8– प्रस्तावित भवन में 1.5मीटर चौड़ाई के 03 स्टेयर केस (जीना)बनाये जाना का प्रस्तावत है। ट्रेवलिंग डिस्ट्रेन्स मानक के अनुसार है।

20.05.15
(चन्द्र शेखर शर्मा)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
मीरजापुर

.....2

प्रस्तावित अग्निशमन व्यवस्थाः—

नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया—2005 के पार्ट 4 के टेबुल 23 के अनुसार सुरक्षात्मक व्यवस्थायें लगाये जाने का प्रस्ताव है।

1— प्रत्येक तल पर आईएसः2190 के मानक के अनुसार फा0एक्सटिंग्यूशर लगाया जायेगा।

2— प्रत्यके तल पर होजरील की व्यवस्था कराई जायेगी।

3— मानक के अनुसार डाउन कमर की व्यवस्था करते हुए प्रत्येक तल पर आउटलेट लगाये जायेगे तथा आउटलेट के पास होज बाक्स बनाया जायेगा। जिसमें 15—15मीटर का दो—दो होज पाइप तथा एक—एक साधारण ब्रान्च पाइप रखा जायेगा।

4— भवन के बेसमेन्ट में आटोमेटिक स्प्रिन्कलर सिस्टम का प्राविधान किया जाय।

5— सम्पूर्ण भवन में मनुअली आपरेटेड/इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम का प्राविधान किया जाय।

6— भवन के टैरेस पर 25000 लीटर क्षमता का टैरेस टैंक व 900एलपीएम क्षमता फायर पम्प लगाया जाय।

7— सम्पूर्ण भवन के जीने में प्रदीप्त संकेत चिन्ह अंकित किया जाय।

अतः भवन निर्माण के पश्चात अग्निशमन व्यवस्थाओ को अधिष्ठापित कराकर भवन को प्रयोग में लेने से पूर्व अग्निशमन विभाग से सत्यापन कराने के शर्त पर प्रस्तावित भवन निर्माण हेतु अग्निशमन का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है।

संलग्नकःअनुमोदित मानचित्र।

20.05.15

(चन्द्र शेखर शर्मा)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी,
मीरजापुर

प्रतिलिपिः श्री कुन्ज बिहारी लाल रियल्टी प्रा0 लि0 द्वारा डायरेक्टर श्री विश्वनाथ प्रसाद अग्रवाल,बरौधा अन्दर मीरजापुर को सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने हेतु ।